अंचल अधिकारी मनातू का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 67

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– उमरी, थाना– 402 खाता संख्या– 2 प्लॉट संख्या– 215/8 ....,रकबा– 2.00 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या–..........,के पृष्ठ संख्या– 56/II पर जमाबंदी रैयत .... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 7/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
मनातू

E:\Sec 5 New Awaidh Jamabandi.docx

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– किसमतिया देवी पति स्व० लालदेव यादव ग्राम- कुमरी
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
कुमरी	402	2	215/8	2.00

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या................ पृष्ठ सं0– 56/II पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 2002-03
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैरमजरुआ मालिक
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– दर्ज नहीं है
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– नहीं।
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती – बन्दोबस्ती केस नं. 73/2002-03
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी) ✓

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	1963828	03/05/2012	–

प्रति 22/10/016
कर्मचारी
हस्ताक्षर
प्र0 नि0
हस्ताक्षर

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित 3
अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी-पक्ष-अनुपस्थित। अतः पुनः द्वितीय नोटिस निर्गत करें। निम्नलिखित तिथि — को र 29 [illegible]	

 वाद सं. 61/2016-17

अभिलेख अवलोकित। यह मामला वर्ष 2016 से लंबित है, माननीय आयुक्त महोदय की बैठक में निर्देश दिया जाता है कि पुनः विस्तृत जांच कर कार्यवाही करें। तदनुसार श्री राजस्व उप निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि अपने हल्का से संबंधित संदिग्ध जमाबंदी के संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन समर्पित करें कि मामला संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है अथवा नहीं।

[illegible] 10.3.22

अंचल अधिकारी
[illegible]

[illegible].3.2022 अभिलेख अवलोकित। रा. क. 11 के माध्यम से उप निरीक्षक के द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया है जो संचिका में संलग्न है। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित जमाबंदी रद्द करने का मामला अपर समाहर्त्ता [illegible] के विविध वाद सं. 13/2021-22 श्रीमती सुरेश्वरी कुमारी बनाम बलदेव महतो वगैरह के बीच का मामला चल रहा है जिस संबंध में राजस्व कर्मचारी के द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया है जो मामला वरीय न्यायालय में लंबित है सो वरीय स्तर से आदेश के बाद ही कार्यवाही सम्भव हो सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आलोक में कि मामला वरीय न्यायालय में लंबित है वरीय स्तर से आदेश के बाद ही कार्रवाई की जानी है।

[illegible] कर संचिकास्थ।

[illegible] 11.3.22

अंचल अधिकारी
[illegible]

अंचल अधिकारी
[illegible]

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

विषय :- अवैध जमाबंदी अभिलेख संख्या : 57/16-17 से अभिलेख सं० 64/16-17 का जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

आदेशानुसार उपरोक्त अवैध जमाबंदी से संबंधित मामले का जाँच किया। उपरोक्त सभी मामलों से संबंधित विविध-वाद सं० :- 13/2021-22 न्यायालय उपायुक्त पलामू के यहाँ मामला चल रहा है। उक्त विविध वाद में अंचल स्तर से जाँच प्रतिवेदन भी भेजा गया है।

अतः अब वरीय न्यायालय में यही मामला चल रहा है तो अंचल स्तर पर इस वाद की सुनवाई समाप्त की जा सकती है।

प्रतिवेदन अग्रेतर कारवाई हेतु सादर समर्पित।

16/03/2022
[illegible]

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.01.25 17:32:46 +05:30
Location: 192.168.61.97